निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 21/2025
दायरा दिनांकः–24.03.2025
निर्णय दिनांकः– 30.5.25

उनवान

1. गुड्डु उर्फ निजामुद्दीन पुत्र अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी केलखेडी तहसील छबडा हाल मुकाम कोली मोहल्ला छबडा जिला बारां (राज0)
2. नन्ना खान पुत्र अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी केलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार गालव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल केलखेड़ी पटवार हल्का झरखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) की भूमि खाता संख्या 33 की खसरा नंबर 102 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, खाता संख्या 52 की खसरा नंबर 107 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नंबर 193 रकबा 0.0379 है०, खाता संख्या 16 की खसरा नंबर 176 रकबा 0.2276 है०, खसरा नंबर 195 रकबा 0.3415 है० एवं वाके माल झरखेड़ी पटवार हल्का झरखेड़ी तहसील छबड़ा की भूमि खाता संख्या 54 की खसरा नंबर 31/1 रकबा 2.0867 है०, खसरा नंबर 45 रकबा 3.1110 है०, खाता संख्या 55 की खसरा नंबर 36 रकबा 0.4173 है० कुल खसरा आठ कुल रकबा 6.6393 हैक्टेयर दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमियात में प्रार्थीगण का नाम नन्ना खां, गुड्डू खां नाबालिग पुत्र अब्दुल हफीज दर्ज जमाबंदी हो रहा है। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम सम्वत् 2041 से 2067 तक में सही नाम अब्दुल हकीम दर्ज था। जिसको सहवन से भूलवश अब्दुल हफीज दर्ज कर दिया गया है। जिसको जमाबंदी में सही (ठीक) नाम अब्दुल हकीम करवाया जाना आवश्यक है। वाके ग्राम केलखेड़ी पटवार हल्का झरखेड़ी में स्थित भूमि खाता संख्या 16 की खसरा नंबर 176 रकबा 18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 195 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा में दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु संवत् 1978 में हो चुकी है। जिसका

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ान्तरकरण तस्दीक हो चुका है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल रहीम सही ण है। परंतु प्रार्थीगण के पिता अब्दुल रहीम की मृत्यु के समय प्रार्थीगण नाबालिग अवस्था में होने से जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम के साथ नाबालिग जोड़ दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण विगत काफी समय से वयस्क हो चुके हैं। परंतु जमाबंदी में आज भी प्रार्थीगण के नाम के साथ नाबालिग दर्ज होने से अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ, मुआवाजा, केसीसी इत्यादि से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण के भाई रहीमुद्दीन की मृत्यु दिनांक 07.11.2016 को हो चुकी है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 298 वाके ग्राम केलखेड़ी तस्दीक हो चुका है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता सही का नाम अब्दुल हकीम दर्ज जमाबंदी है। इसी प्रकार प्रार्थी गुड्डू खां का गांव में बोलता नाम से नामान्तरण खोला गया था, जो आज भी जमाबंदी में दर्ज हो रहा है। जबकि गुड्डू का वास्तविक दस्तावेजी नाम निजामुद्दीन है एवं प्रार्थीगण का नाबालिग अवस्था में नामान्तरण खोला जाने के कारण आज भी जमाबंदी में नाबालिग दर्ज हो रहा है। जिसको प्रार्थीगण ठीक करवाने व अपने नाम से नाबालिग शब्द हटवाने के अधिकारी है। रहीमउद्दीन का स्वर्गवास दिनांक 07.11.2016 को हो चुका है। परंतु खातेदारी जमाबंदी वाके ग्राम झरखेड़ी में पिता का नाम अब्दुल हफीज दर्ज होने के कारण आज दिन तक उसके वैध वारिसान के नाम नामान्तरण तस्दीक नहीं हो सका है और खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं और इसी प्रका गुड्डू खां, नन्ना खां के नाम के साथ नाबालिग दर्ज होने एवं दस्तावेजों में गुड्डू खां का नाम निजामुद्दीन नाग होने के कारण किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिसके प्रार्थीगण अधिकारी है। खातेदारी में प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल हफीज एवं प्रार्थीगण का नाम नाबालिग गुड्डू खां व नन्ना खां लिपिकीय त्रुटि (गलती) है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त गलती को दुरूस्त नहीं किया गया तो प्रार्थीगण एवं उनके वैध वारिसान को अपनी पैत्रिक आराजियात में साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। उक्त लिपिकीय गलती के कारण प्रार्थीगण को पैत्रक भूमियात पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सके। जिसके कारण प्रार्थीगण को केन्द्र / राज्य. सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी उक्त भूमियात को उन्नत करने में असक्षम है। न तो प्रार्थीगण को केसीसी मिल रही है और ना ही प्रार्थीगण विद्युत कनेक्शन ले पा रहे हैं। इसलिए प्रार्थीगण को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त गलती को ठीक / सही करवाने के कई प्रयास किए। परंतु प्रार्थीगण को कभी सफलता नहीं मिली। अन्ततः प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब छबड़ा से निवेदन किया तो उन्होंने श्रीमान न्यायालय में दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लाने की हिदायत दी। इसलिए श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण श्रीमान तहसीलदार साहब की हिदायतानुसार एवं अपने पैत्रक भूमि की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 13.12.2024 को उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैराकार सरकार से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम केलखेडी तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 52 नकल जमाबन्दी ग्राम केलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 16 नकल जमाबन्दी ग्राम केलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 33 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 54 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 55 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 54,55 नकल जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

झरखेडी सम्वत् 2065–68 खाता संख्या 59 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2061–64 खाता संख्या 87 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2057–60 खाता संख्या 97 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2053–56 खाता संख्या 90 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2049–52 खाता संख्या 82 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2045–48 खाता संख्या 43 नकल जमाबन्दी ग्राम झरखेडी सम्वत् 2041–44 खाता संख्या 64 नकल नामान्तरण संख्या 298 ग्राम झरखेडी नकल नामान्तरण संख्या 70 दिनाक 03.12.1978 ग्राम झरखेडी नकल नामान्तरण संख्या 71 दिनांक 03.12.1978 ग्राम झरखेडी नकल मृत्यु प्रमाण पत्र रहीमउद्धीन पेश किया गया। फोटो प्रति आधार कार्ड नन्हेशान फोटो प्रति आधार कार्ड निजामुद्दीन पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम केलखेडी व झरखेडी तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी में प्राथीगण का नाम नन्ना खां गुड्डु खां, नाबा0 पुत्र अब्दुल हफीज राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सम्वत् 2041–57 तक सही नाम अब्दुल हकीम दर्ज था जिसको सहवन से अब्दुल हफीज दर्ज कर दिया है ग्राम केलखेडी के खाता संख्या 16 में प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण तस्दीक किया गया जिसको प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल रहीम सही दर्ज था। परन्तु अब्दुल रहीम की मृत्यु के समय प्रार्थी नाबा0 था इसलिए नाबा0 लिख दिया परन्तु प्रार्थीगण विगत काफी समय से व्यस्क हो चुके है परन्तु जमाबन्दी में आज भी नाबा0 दर्ज चला आ रहा है प्रार्थीगण के भाई रहीमुद्दीन की मृत्यु दिनांक 07.11.2016 को हो चुकी है जिसका नामान्तरण 298 तस्दीक किया गया। जिसकों प्रार्थीगण के पिता का सही नाम अब्दुल हकीम दर्ज है प्रार्थी गुड्डु खां का गांव में बोलता नाम से नामान्तरण दर्ज किया गया है जबकि गुड्डु का वास्तविक नाम निजामुद्दीन है प्रार्थीगण का नाम व पिता का नाम गलत दर्ज होने एवं नाबा0 दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पिता का नाम एवं नाबा0 को बालिग तथा गुड्डु के स्थान पर निजामुद्दीन दुरूस्त किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम झरखेडी के खाता संख्या 54,55 में प्रार्थी के पिता का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अब्दुल हकीम दर्ज है रिकार्ड से मिलान करने पर पाया की प्रार्थी के पिता के फोती नामान्तरण संख्या 70 दिनांक 28.11.1978 में प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल हकीम दर्ज था जो कि सम्वम् 2041–57 तक नाम चला आ रहा था उसको बाद जमाबन्दी में सहवन से अब्दुल हफीज दर्ज हो गया जो कि वर्तमान सम्वत् 2082 तक चला आ रहा है प्रार्थीगण के पिता का सही नाम अब्दुल हकीम किया जाना न्यायोचित होगा। ग्राम केलखेडी के खाता संख्या 16,33,52 तथा ग्राम झरखेडी के खाता संख्या 54,55 में प्रार्थी का नाम गुड्डु खां है जो कि गुड्डु खां के पिता अब्दुल हकीम के फोती नातान्तरण से दर्ज हुआ था जो कि वर्तमान जमाबन्दी तक चला आ रहा है ग्राम वासियों से पुछताछ कि गई तो उन्होने बताया कि प्रार्थी का बोलता नाम गुड्डु खां है तथा दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम निजामुद्दीन है जबकि दोनो एक ही व्यक्ति के होना बताया गया है ग्राम झरखेडी के खाता संख्या 16,54 में गुड्डु खां नन्ना खां नाबालिग है जिनको

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ावेज चैक किये गये तथा ग्राम वासियों से पुछताछ से पाया की दोनो वर्तमान में ालिग हो चुके है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम केलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 52 खाता संख्या 16 खाता संख्या 16 खाता संख्या 33 में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम अब्दुल हकीम दर्ज है तथा प्रार्थी क्रम 1 का नाम गुड्डु खां दर्ज है ग्राम झरखेडी का जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 54,55 में प्रार्थीगण नाबा0 दर्ज है तथा पिता का नाम अब्दुल हफीज दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम झरेखेडी सम्वत् 2049–52, 2053–56,2057–60, 2061–64, 2065–68, 2069–72 में प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल हफीज दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम झरेखेडी सम्वत् 2041–44 में प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल हकीम दर्ज था। नकल नामान्तरण संख्या 70 ग्राम केलखेडी के अनुसार प्रार्थीगण के पिता अब्दुल हकीम का फोती नामान्तरण उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थी नन्ने खां गुड्डु खां का नाम दर्ज है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का सही नाम अब्दुल हकीम है तथा प्रार्थीगण का केलखेडी की जमाबन्दी में बालिग दर्ज है तथा ग्राम झरखेडी की जमाबन्दी में प्रार्थी नाबा0 दर्ज है प्रार्थीगण को बालिग किया जाना उचित है प्रार्थी क्रम 1 गुड्डु खां को गांव में बोलता नाम होना तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया है प्रार्थी के अन्य दस्तावेज में निजामुद्वदीन दर्ज है। परन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित नही होता है कि दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इसे साबित करने के लिए प्रार्थी द्वारा साक्ष्य/साबूत प्रस्तुत कर सुसंगत धाराओं में अनुतोष चाहा जा सकता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम केलखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 102 रकबा 0.1138 है0 खसरा नम्बर 107 रकबा 0.3035 है0 खसरा नम्बर 193 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 176 रकबा 0.2276 है0 खसरा नम्बर 195 रकबा 0.3415 है0 एवं ग्राम झरखेडी के खसरा नम्बर 31/1 रकबा 2.0867 है0 खसरा नम्बर 45 रकबा 3.1110 है खसरा नम्बर 36 रकबा 0.4173 है0 में प्रार्थीगण के पिता का नाम अब्दुल हफीज के स्थान पर अब्दुल हकीम एवं प्रार्थीगण के नाम के साथ दर्ज नाबालिग शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)